



2026:AHC:14508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 7290 वर्ष 2025

आकाश यादव

...पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रेम प्रकाश यादव, सत्य प्रकाश यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

एएफआर

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. श्री प्रेम प्रकाश यादव, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया। सूचना की तामीली के बावजूद विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एस.एस.टी. संख्या 124 वर्ष 2024 (राज्य बनाम आकाश यादव, मुकदमा अपराध संख्या 78 वर्ष 2024, थाना मुगरबादशाहपुर से उत्पन्न, धारा 376 भा.द.सं. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6, थाना मुगरबादशाहपुर, जिला जौनपुर) में दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.9.2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम (विशेष), जौनपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 161 दं.प्र.सं. और 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित अभियोक्त्री के बयान को अनदेखा कर दिया जो अभियोक्त्री की कथित आयु के संदर्भ में भौतिक विरोधाभास दर्शाते हैं। अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट में, जैसा कि बताया गया है, चिकित्सा परीक्षण की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष अंकित है, यद्यपि उसकी आयु 18 धन (1-2) अर्थात् 19-20 वर्ष है। यह विद्यालय प्रमाण-पत्र से विरोधाभासी है जो दिनांक 20.11.2007 की जन्म तिथि सुझाता है, जो कथित घटना अर्थात् 6.3.2024 के समय उसकी आयु लगभग 18 वर्ष दर्शाता है। यह पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उसकी अल्पवयस्कता के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के उन्मोचन आवेदन को अस्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके बीच सहमतिपूर्ण सम्बन्ध के पूर्व के दस्तावेजों को अनदेखा कर दिया है। अभियोक्त्री ने स्वयं अपने बयान में कहा कि उसने घटना से पहले उसे 3-4 बार फोन किया था। उन्मोचन आवेदन की अस्वीकृति में पर्याप्त रूप से यह विचार नहीं किया गया कि वयस्कता की आयु के निकट पक्षकारों के बीच स्वैच्छिक सम्बन्ध न तो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आता है और न ही धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत जहाँ पीड़िता वयस्क हो और पक्षकारों ने सहमतिपूर्ण सम्बन्ध में प्रवेश किया हो।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रोहिणी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 लॉसूट (इलाहाबाद) 1263 के मामले में प्रतिपादित विधि का आधार लिया। यह बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका में पारित है। उपर्युक्त मामले के अनुच्छेद 25 में, बालक की आयु साबित करने के लिए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 2015 के अधिनियम के अंतर्गत बालक की आयु निर्धारित करने के लिए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर निर्भर नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में, उपर्युक्त निर्णय के अनुच्छेद 14, 18 और 19 के माननीय उच्चतम न्यायालय के अवलोकन नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[25] उपर्युक्त मामले में, स्कूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र बालक की आयु साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 2013 के अधिनियम के अंतर्गत बालक की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर निर्भर नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में, उपर्युक्त निर्णय के अनुच्छेद 14, 18 और 19 में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं :-

"14.अ जे.जे. अधिनियम की धारा 94(2)(iii) स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालय या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र की जन्म तिथि को जन्म प्रमाण-पत्र या किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी दिनांक के अभाव में सर्वप्रथम निर्भरता देनी है और केवल इसके पश्चात् इन दस्तावेजों के अभाव में आयु 'अस्थिकरण परीक्षण' या 'किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण' के माध्यम से निर्धारित की जानी है, जो संबंधित प्राधिकरण, अर्थात् समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेशों पर आयोजित किया जाए। वर्तमान मामले में, स्वीकार्यतः, केवल एक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र और जन्म प्रमाण-पत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र नहीं पर विचार किया गया था। प्रदर्श सी-1 अर्थात् विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र ने पीड़िता की जन्म तिथि 11.07.1997 दर्शाई। चूँकि यह धारा 94(2)(i) में उल्लिखित किसी भी वर्ग के दस्तावेजों के विवरण को पूरा नहीं करता था क्योंकि यह केवल एक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र था, प्रदर्श सी-1 पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए निर्भर नहीं किया जा सकता था कि एम. अपराध के किए जाने के समय 18 वर्ष से कम आयु की थी।

18. इस मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, एम. के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सी.डब्ल्यू.-1 को न्यायालय द्वारा तलब किया गया और उसने एक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (प्रदर्श सी-1) प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने एम. का नाम दर्ज करने वाला एक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। उसने बयान दिया कि उसने एक वर्ष के लिए, अर्थात् 2009-10 के लिए विद्यालय में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अध्ययन किया था और जन्म तिथि उस विद्यालय द्वारा दी गई रिकॉर्ड शीट के आधार पर थी जहाँ उसने 7वीं कक्षा में अध्ययन किया था। डी.डब्ल्यू.-2 टी.एम.टी. पूंगोतई, चिन्नमोलैपालयम पंचायत विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने न्यायालय द्वारा दिए गए समन का उत्तर दिया और बयान दिया कि एम. दिनांक 03.04.2002 से उसके विद्यालय में सम्मिलित हुई थी और उसकी जन्म तिथि 11.07.1997 अंकित की गई थी। उसने स्वीकार किया कि यद्यपि जन्म तिथि कुण्डली के आधार पर थी, सामान्यतः कुण्डली के आधार पर दर्ज की जाती थी। उसने जन्म तिथि के अभिलेखन के आधार के बारे में कोई ज्ञान न होने की बात स्वीकार की। पहले भी उसी मुद्दे पर, अर्थात् जन्म तिथि पर, थिरु प्रकाशन, डी.डब्ल्यू.-3 ने बयान दिया कि वर्ष 1997 से सम्बन्धित जन्म रजिस्टर उसके कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं था।

19. उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विचारण (trial) के दौरान प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में न तो विद्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र की जन्म-तिथि का विवरण था, और न ही संबंधित परीक्षा बोर्ड का मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र, अथवा किसी निगम, नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वीकार्य चिकित्सीय परीक्षाओं/जांचों के माध्यम से यह सिद्ध करे कि पीड़िता की आयु किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(iii) के अनुसार 18 वर्ष से कम थी। पीडब्ल्यू-9, जो तेनमाली स्थित जनरल अस्पताल, वेल्लोर के मुख्य सिविल चिकित्सक एवं रेडियोलॉजिस्ट थे, ने एक्स-रे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए तथा परीक्षण के संबंध में यह बयान दिया कि M के परीक्षण के आधार पर जारी प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया था कि उक्त बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम होगी। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि M की आयु 19 वर्ष भी मानी जा सकती है। तथापि, उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि “जब विद्यालयीय अभिलेखों में



सटीक जन्म-तिथि उपलब्ध हो, तब चिकित्सकीय विशेषज्ञ द्वारा अनुमानित आयु को निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता।” इस न्यायालय के मतानुसार, यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण एवं विधि-विरुद्ध है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, प्रस्तुत दस्तावेज़, अर्थात् स्थानांतरण प्रमाणपत्र तथा प्रवेश पंजिका की प्रतिलिपियाँ, धारा 94(2)(i) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं; साथ ही, वे धारा 94(2)(ii) के अनुरूप भी नहीं हैं, क्योंकि डीडब्ल्यू-1 ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि पीड़िता M के जन्म से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अनुसार उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य चिकित्सीय मत (medical opinion) था, जो पीड़िता के अनेक एक्स-रे परीक्षणों के आधार पर दिया गया था तथा जिसके आधार पर पीडब्ल्यू-9 ने अपना कथन दिया। उन्होंने पीड़िता की अस्थियाँ (bones) की जांच, शारीरिक विकास तथा अन्य परीक्षणों का विवरण देते हुए यह मत व्यक्त किया कि उसकी आयु 18 से 20 वर्ष के मध्य है; जबकि जिरह में उन्होंने कहा कि उसकी आयु 19 वर्ष भी हो सकती है। इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि अस्थि-परीक्षण का परिणाम, जिसे परीक्षणकर्ता चिकित्सक पीडब्ल्यू-9 द्वारा पुष्ट किया गया, सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य था।“ “

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पी. युवाप्रकाश बनाम इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस के माध्यम से राज्य प्रतिनिधि, आपराधिक अपील संख्या 1898/2023, दिनांक 18.7.2023 को निर्णीत के मामले में प्रतिपादित विधि का भी आधार लिया। महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

“(1) केवल तभी जब अवयस्क पीड़िता की सहमति से या उसके बिना यौन सम्पर्क को निहित करने वाला भेदक यौन उत्पीड़न होता है, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित होते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) जन्म प्रमाण-पत्र के अभाव में केवल, समिति या बोर्ड के आदेशों पर आयोजित अस्थिरकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा आयु निर्धारित की जाएगी।"

तथापि, वर्तमान मामले में, विचारण अभी शुरू होना बाकी है। उन्मोचन आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। मामले के गुण-दोष पर अन्तिम निर्णय विचारण के चरण पर होगा। विपक्षी पक्ष संख्या 2/परिवादी ने उन्मोचन आवेदन के विरुद्ध आपति दाखिल की कि वह परिवादी है। वह पीड़िता के पिता हैं। पीड़िता ने 2023-2024 में सर्वजनिक इण्टर कॉलेज, मुंगा बादशाहपुर, जिला जौनपुर से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। घटना दिनांकित 6.3.2024 है, अतः घटना के समय पीड़िता की आयु 16 वर्ष 3 माह 16 दिन थी। पीड़िता ने धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपना बयान अभिलिखित कराया था और उसने स्वयं बताया कि वह सर्वजनिक इण्टर कॉलेज, मुंगा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में पढ़ती है। उसने अपनी जन्म तिथि 20.11.2007 बताई। उसने यह भी बताया कि पुनरीक्षणकर्ता ने उसे कई बार फोन किया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयान में उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया। परिवादी ने आगे आपति जताई कि हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की उपलब्धता में जहाँ घटना के समय पीड़िता की आयु 16 वर्ष है, वहाँ आरोप विरचन के चरण में, यदि कोई, स्थानीय रिपोर्ट की स्वीकार्यता का कोई कारण नहीं है। पीड़िता हाई स्कूल पास है। घटना दिनांकित 6.3.2024 है, जबकि पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा दिनांक 15.3.2024 को हुई। पीड़िता के गुप्तांग पर किसी चोट के अभाव में यह कारण नहीं हो सकता कि बलात्कार का कोई अपराध नहीं हुआ।

7. विवेचना के दौरान, मुंगा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के सर्वजनिक इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य का बयान भी अभिलिखित किया गया था और उन्होंने सत्यापित किया कि महाविद्यालय के अभिलेख के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 20.11.2007 है।

8. विचारण न्यायालय ने एक विस्तृत, तार्किक और प्रेरणयुक्त आदेश पारित किया था और पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त को उन्मोचित करने से इनकार किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेजों पर निर्भरता जताई थी जिनमें उसकी जन्म तिथि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.11.2007 है और घटना दिनांकित 6.3.2024 है। पीड़िता ने धारा 161 और 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयान में स्वयं अपनी आयु 16 वर्ष बताई थी। उसने अपना बयान अभिलिखित कराया था कि पुनरीक्षणकर्ता ने उसे फोन किया और उसके कपड़े उतारकर उसकी शारीरिक परीक्षा की।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया था कि यह विधि सुस्थापित है कि आरोप विरचन के चरण पर साक्ष्य का सतर्क मूल्यांकन अनुमत नहीं है। उसने आगे जाकिर शेख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 (90) एस.सी.सी. 901 के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का आधार लिया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विवेचना के दौरान उपलब्ध और एकत्रित सामग्री के आधार पर उचित संदेह है, तो आरोप विरचन के लिए पर्याप्त है। इस न्यायालय की खण्डपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 1594/2017 (इरफान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में अभिनिर्धारित किया है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद-75 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार का अपराध स्थापित करने के लिए पीड़िता के गुप्तांग पर चोट हमेशा आवश्यक नहीं है। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने भी इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय उर्फ चिन्ने बनाम म.प्र. राज्य, (2010) 8 एस.सी.सी. 191 और राजू उर्फ उमाकान्त बनाम म.प्र. राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 997 (गैंगरेप का मामला) में प्रतिपादित विधि का संदर्भ दिया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया था :

"अभियोक्त्री के शरीर पर चोट"

"25. गुरुचरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(1972) 2 एस.सी.सी. 749 : 1972 एस.सी.सी. (क्रि) 793 : ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2661] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि : (एस.सी.सी. पृ. 753, पैरा 8) अभियोक्त्री के शरीर के गुप्तांग पर चोट या हिंसा के चिह्न का अभाव तब महत्वहीन है जब अभियोक्त्री अवयस्क हो और यह केवल अभियोक्त्री की ओर से हिंसक प्रतिरोध न करने की इच्छा सुझाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले में हिंसा या दृढ़ प्रतिरोध का अभाव भी शायद शुद्ध डरपोकपन के कारण अपरिहार्य के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



असहाय समर्पण सुझाए। किसी भी स्थिति में, उसकी सहमति मामले को बलात्कार की परिभाषा से बाहर नहीं करेगी।

26. देवेन्द्र सिंह बनाम हि.प्र. राज्य [(2003) 11 एस.सी.सी. 488: 2004 एस.सी.सी. (क्रि) 185] में इस न्यायालय ने एक समान मुद्दे पर विचार किया था और न्यायालय ने प्रासंगिक साक्ष्य पर ध्यान दिया था जिसमें पाँच व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किए जाने का आरोप था। अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। जघन रोम पर स्खलन के साथ कोई उलझाव नहीं था और जननांग क्षेत्र पर कोई चोट नहीं पाई गई। परन्तु यह पाया गया कि अभियोक्त्री यौन सम्बन्ध की अभ्यस्त थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह तथ्य कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई, केवल यह दर्शाता है कि उसने प्रतिरोध नहीं किया।"

अतः पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया यह निवेदन कि पीड़िता को कोई चोट नहीं आई, विशेष रूप से आरोप विरचन के चरण पर, कोई महत्व नहीं रखता।

10. आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़िता का नाम उल्लिखित किया था। यह सराहनीय नहीं है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 7772/2021**, दिनांक 30.6.2021 में अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया, "परन्तु हम सत्र न्यायाधीश के निर्णय पर इस बात पर आपत्ति करते हैं जहाँ पीड़िता का नाम उल्लिखित किया गया है। यह सुस्थापित है कि वर्तमान जैसे मामलों में किसी भी कार्यवाही में पीड़िता का नाम उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए। हम यह मत रखते हैं कि सभी अधोस्तरीय न्यायालय भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने में सावधान रहें।" अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि बाध्यकारी है और बिना किसी अपवाद के पूर्णतः उसका अनुपालन किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**, (2019) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 703 के मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्माताओं का उद्देश्य था कि ऐसे अपराधों की पीड़ितों की पहचान न हो सके ताकि उन्हें भविष्य में कोई शत्रुतापूर्ण भेदभाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त, पाँक्सो अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया और यह अवलोकन किया गया, "धारा 24(5) और धारा 33(7) का एक सरल पाठ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवेचना या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक का नाम और पहचान प्रकट नहीं की जानी चाहिए और पीड़िता की पहचान जनता या मीडिया से सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, धारा 37 यह उपबंधित करती है कि विचारण कैमरे में संचालित किया जाए जिसका अर्थ है कि मीडिया उपस्थित नहीं हो सकता। पाँक्सो का सम्पूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालक की पहचान तब तक प्रकट न हो जब तक विशेष न्यायालय लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद ऐसे प्रकटन की अनुमति न दे। यह प्रकटन केवल तभी किया जा सकता है जब यह बालक के हित में हो और अन्यथा नहीं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहचान का प्रकटन विशेष न्यायालय द्वारा केवल तभी अनुमत किया जा सकता है जब यह बालक के हित में हो और किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। हम यह मत रखते हैं कि बालक का नाम प्रकट करना ताकि उसे विरोध का प्रतीक बनाया जाए, सामान्यतः बालक के हित में नहीं माना जा सकता। विद्वान अधोस्तरीय न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के संघटक उपलब्ध हैं और उसने अभियुक्त-पुनरीक्षणकर्ता के उन्मोचन आवेदन को सम्यक् रूप से अस्वीकार किया है। दिनांक 20.9.2025 के आक्षेपित आदेश में न तो कोई अवैधता है और न ही कोई अनियमितता - तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि इस न्यायालय द्वारा **निपुण सक्सेना और अन्य (उपरोक्त)** के मामले में जारी निर्देश के साथ-साथ बलात्कार की पीड़िताओं की पहचान के संदर्भ में भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा दिनांक 16.1.2019 को जारी निर्देश कि मीडिया जिसमें प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सम्मिलित है, उनकी पहचान प्रकट नहीं करेगा, **रिट याचिका (सिविल) डायरी संख्या(यों) 37158/2024** (किन्नोरी घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में संरक्षित किया जाना चाहिए। आदेश इस प्रकार है :-

"2 स्पष्ट रूप से, यह निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। इस न्यायालय ने निर्देश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया था कि बलात्कार की पीड़िताओं की पहचान सुरक्षित की जानी चाहिए और मीडिया जिसमें प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सम्मिलित हैं, उनकी पहचान प्रकट नहीं करेगा। गृह मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2019 को एक निर्देश भी जारी किया गया था।

3 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72(1) के प्रावधानों पर भी निर्भरता जताई गई है।

4 यह न्यायालय एक अनुशासनात्मक आदेश जारी करने के लिए विवश है क्योंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शव की बरामदगी के बाद मृतका की पहचान और मृत शरीर के फोटोग्राफ प्रकाशित कर दिए हैं।

5 हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि उपरोक्त घटना में मृतका के नाम के सभी संदर्भ, फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप इस आदेश के अनुपालन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तत्काल हटाए जाएँ।

6 रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

7 कोई भी लम्बित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया गया मानें।"

12. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहचान का प्रकटन विशेष न्यायालय द्वारा केवल तभी अनुमत किया जा सकता है जब यह बालक के हित में हो और किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। हम यह मत रखते हैं कि बालक का नाम प्रकट करना ताकि उसे विरोध का प्रतीक बनाया जाए, सामान्यतः बालक के हित में नहीं माना जा सकता। विद्वान अधोस्तरीय न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के संघटक उपलब्ध हैं और उसने अभियुक्त-पुनरीक्षणकर्ता के उन्मोचन आवेदन को सम्यक् रूप से अस्वीकार किया है।

13. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम (विशेष), जौनपुर द्वारा दिनांक 20.9.2025 को पारित आक्षेपित आदेश में न तो कोई अवैधता है और न ही कोई अनियमितता। वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार निरस्त किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 20, 2026

(अब्दुल शाहिद, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।